



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230796
CG-DL-E-28102021-230796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]
No. 623]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2021

सं. 64/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 771(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सीमलेस, ट्यूब्स, पाइप तथा लोहे के होलो प्रोफाइल, जो कि मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु स्टील (कच्चा लोहे तथा स्टेनलेस स्टील से भिन्न) से बने हो और चाहे हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोड हो, जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14" ओडी से अधिक न हो (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के नाम से जाना जाता है जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7304 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 07/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 फरवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. सं 143 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/43/2020, दिनांक 19 फरवरी, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/43/2020-डीजीटीआर, दिनांक 30 जुलाई, 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

- (i) लागू शुल्कों के बावजूद, विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की लगातार और महत्वपूर्ण पाटन हो रही है। पाटन मार्जिन और क्षतिमार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है;
- (ii) यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है,

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, उस दर जोकि विषयगत वस्तु के लैंडेड मूल्य और कॉलम (8) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित धनराशि के अंतर के बराबर है, बशर्ते की लैंडेड मूल्य कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट मूल्य से कम हो, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	माल का विवरण *	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	विशिष्टता **	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7304	सीमलेस, ट्यूब्स, पाइप तथा लोहे के होलो प्रोफाइल, जो कि मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु स्टील (कच्चा लोहे तथा स्टेनलेस स्टील से भिन्न) से बने हो और चाहे हॉट फिनिशड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोड हो, जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम अथवा 14" ओडी से अधिक न हो *	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू चेंगडे स्टील ट्यूब शेयर कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर

2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	ताइज़हौ चेंगदे स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चांगझौ चांगबाओ प्रेसिजन एंड स्पेशल स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चांगझौ चांगबाओ प्रेसिजन एंड स्पेशल स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जियांगसू चांगबाओ स्टील ट्यूब लिमिटेड कं, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हेंगयांग वैलिन स्टील ट्यूब कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर

7	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हेंगयांग वैलिन एमपीएम कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक सं. 1 से 7 के अलावा कोई अन्य संयोजक	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
9	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक सं. 1 से 7 के अलावा कोई अन्य संयोजक	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर
10	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश	क्रमांक सं. 1 से 7 के अलावा कोई अन्य संयोजक	ए-1-1	1,194.60	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-2	1,075.28	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-3	1,383.44	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-4	1,178.73	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-5	961.33	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-6	1,193.77	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-7	1,462.00	एमटी	अमेरिकी डॉलर
						ए-1-8	1,610.67	एमटी	अमेरिकी डॉलर

* माल के विवरण में निम्नलिखित के आयात शामिल नहीं हैं:-

i. कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील से बने सीमलेस पाइप और ट्यूब।

ii. एसटीएम ए213/एसएमई एसए 213 और एसटीएम ए335/एसएमई एसए 335 या समकक्ष बीआईएस/डीआईएन/बीएस/एन विनिर्देशों के सीमलेस मिश्र धातु-स्टील पाइप, ट्यूब और होलो प्रोफाइल्स या कोई अन्य समकक्ष विनिर्देशन।

iii. गैर-एपीआई और प्रीमियम जोड़ / प्रीमियम कनेक्शन / प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब और पाइप।

iv. सभी 13 क्रोमियम (13CR) ग्रेड ट्यूब और पाइप।

v. ड्रिल कॅलर्स।

vi. मुख्यनियंत्रक विस्फोटक, भारत सरकार पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, द्वारा अनुमोदित उत्पादकों द्वारा गैस सिलेंडरों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च दबाव वाले सीमलेस स्टील पाइप / ट्यूब।

**

विशिष्टता	विवरण
ए-1-1	तेल या गैस में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीमलेस ट्यूबिंग, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु के लिए ड्रिलिंग, हॉट फिनिश या कोल्ड ड्रॉन या बाहरी व्यास की कोल्ड रोलड जो 355.6 मिमी या 14" ओडी से अधिक न हो
ए-1-2	तेल या गैस में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीमलेस केसिंग, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु के लिए हॉट फिनिश या कोल्ड ड्रॉन या बाहरी व्यास की कोल्ड रोलड जो 355.6 मिमी या 14" ओडी से अधिक न हो
ए-1-3	सीमलेस मदर हॉलो, कपलिंग स्टॉक, ब्लैक्स/पप जॉइंट्स, कार्बन/गैर-मिश्र धातु/मिश्र धातु, हॉट फिनिश या कोल्ड ड्रॉन या बाहरी व्यास का कोल्ड रोलड जो 355.6 मिमी या 14" ओडी से अधिक न हो
ए-1-4	तेल या गैसमें प्रयुक्त एक प्रकार कीसीमलेस ड्रिल पाइप, कार्बन/गैर-मिश्र धातु के लिए ड्रिलिंग हॉट फिनिश बाहरी व्यास जो 355.6 मिमी या 14" ओडीसे अधिक न हो
ए-1-5	सीमलेस ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल जिसमें कार्बन / गैर मिश्र धातु इस्पात के लाइन पाइप शामिल हैं, हॉट फिनिश बाहरी व्यास के 355.6 मिमी या 14" ओडी से अधिक न हो
ए-1-6	सीमलेस ट्यूब, पाइप और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होलो प्रोफाइल जिसमें कार्बन / गैर मिश्र धातु स्टील के लाइन पाइप, कोल्ड ड्रॉ या कोल्ड रोलड या कोल्ड रिड्यूस्ड बाहरी व्यास 355.6 मिमी या 14 "ओडी से अधिक न हो।
ए-1-7	सीमलेस ट्यूब, पाइप और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिश्र धातु इस्पात की होलो प्रोफाइल जिसमें लाइन पाइप और बियरिंग ट्यूब, हॉट फिनिश, बाहरी व्यास 355.6 मिमी या 14"ओडी से अधिक न हो।
ए-1-8	सीमलेस ट्यूब, पाइप और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होलो प्रोफाइल जिसमें लाइन पाइप और मिश्र धातु स्टील के लाइन पाइप और बियरिंग ट्यूब, कोल्ड ड्रॉन या कोल्ड रॉड या कोल्ड रिड्यूस्ड, बाहरी व्यास जो 355.6 मिमी से या 14" ओडी से अधिक न हो।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि तक (जब तक कि इसे रद्द, निलंबित और संशोधित नहीं किया जाता है) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात के "लैंडेड वैल्यू" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य है और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख,9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

(ख) इस तरह के प्रतिपादन शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विनियम की दर के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुति की तारीख होगी।

[फा. सं. 190354/6/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2021

No. 64/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 771(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/43/2020 dated the 19th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Seamless tubes, pipes and hollow profiles of iron, alloy or non-alloy steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14” OD’ (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under heading 7304 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the ‘subject country’), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 7/2017 – Customs(ADD), dated the 17th February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. number 143 (E) dated the 17th February, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 7/43/2020-DGTR dated the 30th July, 2021, has *inter alia* come to the conclusion that-

- (i) there is continued and significant dumping of the subject goods from the subject country in spite of the duties in force and the dumping margin and injury margin are positive and significant;
- (ii) there is strong likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage,

and has recommended continued imposition of an anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (7), falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to difference between the landed value of the subject goods and the amount mentioned in the corresponding entry in column (8), provided the landed value is less than the value specified in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely :-

TABLE									
Sl. No.	Heading	Description of Goods *	Country of Origin	Country of Export	Producer	Specification **	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7304	Seamless tubes, pipes & hollow profiles of iron, alloy or non-alloy	People’s Republic of China	People’s Republic of China	Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co. Limited, China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar

		steel (other than cast iron and stainless steel), whether hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14'' OD*				A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
2	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Taizhou Chengde Steel Tube Co. Limited, China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
3	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Changzhou Changbao Precision and Special Steel Tube Co. Limited, China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
4	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co. Limited, China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
5	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Jiangsu Changbao Steel Tube Limited Co., China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
6	-do-	-do-	People's Republic	People's Republic	Hengyang Valin Steel Tube Co.	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar

			of China	of China	Limited, China PR	A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
7	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Hengyang Valin MPM Co. Limited, China PR	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
8	-do-	-do-	People's Republic of China	People's Republic of China	Any other combination other than Sl. No. 1 to 7	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
9	-do-	-do-	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any other combination other than Sl. No. 1 to 7	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar
10	-do-	-do-	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any other combination other than Sl. No. 1 to 7	A-1-1	1,194.60	MT	US Dollar
						A-1-2	1,075.28	MT	US Dollar
						A-1-3	1,383.44	MT	US Dollar
						A-1-4	1,178.73	MT	US Dollar
						A-1-5	961.33	MT	US Dollar
						A-1-6	1,193.77	MT	US Dollar
						A-1-7	1,462.00	MT	US Dollar
						A-1-8	1,610.67	MT	US Dollar

* The description of goods does not include the imports of the following: -

- i. Seamless Pipes and Tubes made of cast iron and stainless steel.
- ii. Seamless alloy-steel pipes, tubes and hollow profiles of specifications of ASTM A213/ASME SA 213 and ASTM A335/ ASME SA 335 or equivalent BIS/DIN/BS/EN or any other equivalent specifications.
- iii. Non - API and Premium Joints / Premium Connections / Premium Threaded Tubes and Pipes.
- iv. All 13 Chromium (13CR) Grade Tubes and Pipes.
- v. Drill Collars.

- vi. High pressure seamless steel pipe/tube used for manufacturing gas cylinders by producers approved by the Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Government of India.

**

Specification	Description
A-1-1	Seamless Tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non-Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-2	Seamless Casing, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non-Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-3	Seamless Mother Hollows, coupling stock, blanks/ Pup Joints, Carbon/ Non-Alloy/ Alloy, hot finished or cold drawn or cold rolled of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-4	Seamless Drill Pipes, of a kind used in drilling for oil or gas, Carbon/Non-Alloy, hot finished of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-5	Seamless Tubes, Pipes and hollow profiles including Line pipes of Carbon/Non alloy steel, hot finished of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-6	Seamless Tubes, Pipes and hollow profiles of circular cross section including Line pipes of Carbon/Non alloy steel, cold drawn or cold rolled or cold reduced of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-7	Seamless Tubes, Pipes and hollow profiles of circular cross section including Line pipes and Bearing tubes of Alloy steel, hot finished, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD
A-1-8	Seamless Tubes, Pipes and hollow profiles of circular cross section including Line pipes and Bearing tubes of Alloy steel, cold drawn or cold rolled or cold reduced, of an external diameter not exceeding 355.6 mm or 14" OD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, suspended and amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification,-

(a) "landed value" of imports for the purpose of this notification means the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975;

(b) rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 190354/6/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.